न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–37/2013–14

श्री पुष्पेन्द्र कुमार आदि –बनाम– श्री सोमदत्त मिश्रा आदि

उपस्थितः श्री विजय कुमार ढौंडियाल, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री ललित कुमार उपाध्याय।

बावत

मौजा ज्वालापुर(अन्दर हूदद)
तहसील व जनपद हरिद्वार।

निर्णय

प्रस्तुत निगरानी उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र संख्या–03/2013 मूल वाद संख्या–16/2012 अन्तर्गत धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम सोमदत्त मिश्रा बनाम सरकार में पारित निर्णयादेश दिनांक 28–01–2014 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिउत्तरदाता श्री सोमदत्त मिश्रा आदि ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में एक वाद अन्तर्गत धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम इस आधार पर प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत सम्पत्ति खाता संख्या–30 खसरा नम्बर–1608/2 रकबई 0.184 है0 स्थित ग्राम ज्वालापुर नॉन जेड0ए0 अन्दर हदूद, तहसील व जिला हरिद्वार नकल खतौनी 1396 फसली के अनुसार मालिकाना हक खुद काश्तकार के रूप में श्री हरिराम पुत्र श्री मधुसुदन के नाम दर्ज चला आ रहा है, जबकि प्रश्नगत सम्पत्ति में वर्तमान खतौनी में मौ0 अशरफ व मौ0 शराफत पुत्रगण शरीफ अहमद का नाम श्रेणी–10क में त्रुटिवश अंकित हो गया है। श्री हरिराम का स्वर्गवास काफी वर्ष पहले हो चुका है। श्री हरिराम के 03 पुत्र केशवदत्त मिश्रा, शंकर दत्त मिश्रा एवं ब्रहमदत्त पुत्रगण हरिराम हुए जिनका भी स्वर्गवास हो गया। अब हरिराम व उनके पुत्रों के स्वर्गवास के पश्चात उनके वादीगण वारिस चले आते हैं, जिनका नाम हरिराम के स्थान पर बतौर वारिसान दर्ज किया जाये। प्रकरण में उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर ने तहसीलदार से आख्या प्राप्त की जिसमें मौ0 अशरफ व मौ0 शराफत का नाम श्रेणी–10क में त्रुटिवश अंकित होने एवं त्रुटि को दुरस्त करने में कोई आपत्ति न होने का उल्लेख किया गया। विद्वान सहायक कलेक्टर ने इस विवचेना सहित कि वादीगण सोमदत्त मिश्रा आदि द्वारा मृतक हरिराम एवं उनके पुत्रगण केशवदत्त मिश्रा, शंकर दत्त एवं ब्रहमदत्त मिश्रा पुत्रगण हरिराम की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसों के रूप में प्रश्नगत सम्पत्ति पर वादीगण का नाम धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अंकित नहीं किया जा सकता इसके लिए पृथक से सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर कार्यवाही की जा सकती है वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए वर्तमान खतौनी के खेवट संख्या–171 के खाता संख्या–41 खसरा नम्बर 1608म रकबई 0.184 है0 श्रेणी–10 के रूप में अशुद्व मौ0 अशरफ व मौ0 शराफत पुत्रगण शरीफ अहमद का नाम निरस्त कर उसके स्थान पर पूर्व की भॉति श्री हरिराम पुत्र मधुसूदन का नाम श्रेणी–2(ग) खुदकाश्त के रूप में दुरस्त किए जाने के आदेश दिनांक 11–07–2013 पारित किए गए। इस निर्णयादेश दिनांक 11–07–2013 के विरूद्व निगरानीकर्ता पुष्पेन्द्र पुत्र श्री रविन्द्र कुमार एवं श्री राजेश चौहान पुत्र स्व0 श्री श्रवण कुमार की ओर से पुनर्स्थापन

प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत सम्पत्ति के बावत हरिराम पुत्र मधुसूदन को कोई अधिकार कभी किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से कथित श्रेणी 2(ग) की बावत प्राप्त नहीं हुए और हरिराम कभी भी खेवटदार नहीं रहे हैं और खेवट संख्या–1420 फसली से 1422 फसली में बतौर खेवटदार हरिराम पुत्र मधुसूदन अंकित नहीं है। प्रार्थीगण पुष्पेन्द्र एवं राजेश चौहान ने प्रश्नगत खेवट पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01–03–2013 से खेवटदार हुसैन बक्श पुत्र स्व0 श्री हबीब अहमद के पुत्रों फरमान व मेहरबान पुत्रगण स्व0 हुसैन बक्श से खरीद किया हुआ है और खरीदने के उपरान्त दिनांक 01–03–2013 से प्रश्नगत सम्पत्ति के मालिक काबिज प्रार्थीगण हैं। हरिराम पुत्र मधुसूदन का नाम बिना किसी आदेश के श्रेणीवार में दर्ज हुआ जबकि वैधानिक रूप से ऐसा किया जाना सम्भव नहीं है। निगरानीकर्तागण ने एकपक्षीय आदेश दिनांक 11–07–2013 को रिकाल कर प्रार्थीगण को सुनवाई एवं आपत्ति का अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। विद्वान सहायक कलेक्टर ने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों को सुनने के उपरान्त प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण पुष्पेन्द्र कुमार आदि का पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 22–10–2013 निर्णयादेश दिनांक 28–01–2014 से निरस्त कर दिया जिसके विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में योजित की गई है।

इस निगरानी में प्रतिउत्तरदातागण की अनुपस्थिति के कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही न्यायालय आदेश दिनांक 14–10–2015 से की गई। निगरानी में निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना गया एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावली में रक्षित अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि खसरा नम्बर 1608मि0 रकबई 0.184 है0 खेवट संख्या–171/1 ज्वालापुर अन्दरहदूद की बावत खेवट में कोई अधिकार किसी प्रकार के हरिराम पुत्र मधुसूदन को प्राप्त नहीं थे। प्रश्नगत सम्पत्ति नॉन जेड0ए0 सम्पत्ति है इसलिए श्रेणी–2ग में नाम दर्ज कराने का कोई अधिकार हरिराम को नही था। गलत रूप से दर्ज हरिराम पुत्र मधुसूदन की प्रविष्टि को इसलिए हटा दिया गया था चूँकि उसके सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। इसके उपरान्त विपक्षीगण द्वारा हरिराम के स्थान पर स्वंय को प्रतिस्थापित किये बिना अवर न्यायालय में दुरस्ती की कार्यवाही प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था। अवर न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट था कि खेवट संख्या–171/1 में कोई अधिकार हरिराम को नहीं थे। इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अन्दाज करते हुए त्रुटिपूर्ण आदेश दिनांक 11–07–2013 एवं आदेश दिनांक 28–01–2014 पारित किये गये हैं। निगरानीकर्तागण ने प्रश्नगत सम्पत्ति को खेवट संख्या–171/1 के खेवटदार हुसैनबख्श के पुत्रों फरमान व मेहरबान से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01–03–2013 से क्रय किया और उक्त विक्रय पर के आधार पर निगरानीकर्तागण प्रश्नगत सम्पत्ति के मालिक काबिज हैं इसलिए आदेश दिनांक 11–07–2013 की जानकारी होते ही निगरानीकर्तागण ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय में प्रस्तुत किया। पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए एवं विपक्षीगण को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आदेश दिनांक 28–01–2014 से निगरानीकर्तागण का पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। क्योंकि खुदकाश्त के रूप में अधिकार विपक्षीगण को बिना किसी उचित आगम के प्राप्त हुए बिना नहीं हो सकते। पूर्व में भी जो फर्जी प्रविष्टि हुई थी वह भी बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के हुई थी जो राजस्व अधिकारियों के संज्ञान में आने पर हटा दी गई थी। प्रश्नगत सम्पत्ति में गलत रूप से श्रेणी 10क में दर्शित पक्षकारों से राजीनामा होना दिखाया गया है जबकि उक्त श्रेणी 10क वाले व्यक्तियों ने बिना किसी अधिकार के द्वारा मुख्तारेआम फर्जी बैनामा अन्य विभिन्न व्यक्तियों को किये हैं जिसको अवर न्यायालय में निगरानीकर्तागण द्वारा उठाया गया लेकिन अवर

न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई ध्यान/संज्ञान नहीं लिया गया है। निगरानीकर्तागण अवर न्यायालय में अहम पक्षकार हैं और वाद को गुणदोष पर निस्तारित करने के लिये अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार रखते हैं। इसी सम्पत्ति के बावत निगरानीकर्तागण एवं मौ0 अशरफ, मौ0 शराफत पुत्रगण शरीफ अहमद एवं अन्य के मध्य हुए विवाद में सिविल जज(एस0डी0), हरिद्वार के न्यायालय में एक वाद संख्या–294 वर्ष 3013 पुष्पेन्द्र कुमार आदि बनाम मौ0 अशरफ आदि निषेधाज्ञा के बावत योजित हुआ जिसमें पक्षों के बीच राजीनामा हुआ और सिविल जज द्वारा आदेश दिनांक 26–09–2014 से राजीनामे के आधार पर वाद को डिकी किया गया। अतः निगरानी स्वीकार होने योग्य हैं और अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त होकर निगरानीकर्तागणों को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिउत्तरदातागण सोमदत्त मिश्रा आदि ने सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार के समक्ष धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि नकल खतौनी 1396 फसली के अनुसार मालिकाना हक खुद काश्तकार के रूप में श्री हरिराम पुत्र श्री मधुसुदन का नाम दर्ज चला आता है जबकि प्रश्नगत सम्पत्ति में वर्तमान खतौनी में मौ0 अशरफ व मौ0 शराफत पुत्रगण शरीफ अहमद का नाम श्रेणी 10क में त्रुटिवश अंकित हो गया है। प्रतिउत्तरदातागण द्वारा श्री हरिराम का स्वर्गवास होने एवं उनके पुत्रों केशवदत्त मिश्रा, शंकर दत्त मिश्रा एवं ब्रहदत्त पुत्रगण हरिराम के पश्चात वादीगण/प्रतिउत्तरदातागण सोमदत्त मिश्रा आदि का नाम बतौर वारिसान दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया। विद्वान सहायक कलेक्टर, हरिद्वार ने इस विवेचना सहित कि धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत मृतक खातेदारों के स्थान पर उनके वारिसों का नाम अंकित नहीं किया जा सकता और आदेश दिनांक 11–07–2013 से प्रश्नगत खेवट में मौ0 अशरफ व मौ0 शराफत पुत्रगण शरीफ अहमद का नाम निरस्त कर उसके स्थान पर पूर्व की भांति श्री हरिराम पुत्र मधुसूदन का नाम श्रेणी–2(ग) खुदकाश्त के रूप में दुरस्त किये जाने के आदेश पारित किए गए। इस आदेश दिनांक 11–07–2013 के पुनर्स्थापन हेतु निगरानीकर्तागण ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे सहायक कलेक्टर ने निर्णयादेश दिनांक 28–01–2014 से निरस्त कर दिया।

मैंने अधीनस्थ न्यायालय की वाद पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत खेवट पर त्रुटिपूर्ण रूप से खेवट खतौनी में मौ0 अशरफ व मौ0 शराफत पुत्रगण शरीफ अहमद का नाम श्रेणी–10क में दर्ज था। और प्रतिउत्तरदातागण ने प्रश्नगत खेवट में हरिराम पुत्र मधुसुदन का नाम श्रेणी 1(ग) में होने का आधार लेते हुए अधीनस्थ न्यायालय में दुरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत सम्पत्ति नॉन जेड0ए0 की है और श्रेणी 2(ग) में हरिराम पुत्र मधुसुदन का नाम किस आधार पर प्रश्नगत खेवट खतौनी में दर्ज हुआ यह स्पष्ट नहीं है यह भी स्पष्ट नहीं है। अवर न्यायालय की वाद पत्रावली पर उपलब्ध खेवट नम्बर–171/1 फसली 1420 से 1422 के अवलोकन से भी यह प्रथम दृष्टया ही सिद्व होता है कि प्रश्नगत खेवट में हरिराम पुत्र मधुसुदन अंकित नहीं है। अवर न्यायालय की पत्रावली पर निगरानीकर्तागणों द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्रों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा प्रश्नगत खेवट पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्ये से क्रय किये हैं, अतः अधीनस्थ न्यायालय को निगरानीकर्तागणों द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्रों का संज्ञान लेते हुए पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त 1406 फसली खतौनी में मौ0 अशरफ व मौ0 शराफत पुत्रगण शरीफ अहमद जिनका नाम त्रुटिवश खेवट खतौनी में श्रेणी–10क में दर्ज था उनके और निगरानीकर्तागण के मध्य सिविल जज(एस0डी0), हरिद्वार के न्यायालय में निषेधाज्ञा का वाद

भी चला जिसमें उनके बीच राजीनामा होने के कारण सिविल जज द्वारा राजीनामा के आधार पर वाद दिनांक 26–09–2014 को डिक्री हुआ है यह भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विद्वान सहायक कलेक्टर, हरिद्वार ने त्रुटिपूर्ण ढंग से सरसरी तौर पर बिना अभिलेखों एवं दस्तावेजों के परीक्षण के निगरानीकर्तागण का पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 22–10–2013 निरस्त कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है।

अतः निगरानीकर्तागण की निगरानी बलयुक्त होने के कारण स्वीकार होने एवं विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार के निर्णयादेश दिनांक 11–07–2013 तथा 28–01–2014 निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है कि वे निगरानीकर्तागण का पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 22–10–2013 स्वीकार करते हुए मूल वाद में सभी हितबद्व पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद का गुणदोष के आधार पर विधिसम्मत निस्तारण शीघ्रता से करें।

आदेश

बलयुक्त होने के कारण निगरानी स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार के निर्णयादेश दिनांक 11–07–2013 तथा 28–01–2014 निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे निगरानीकर्तागण का पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 22–10–2013 स्वीकार करते हुए मूल वाद में सभी हितबद्व पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद का गुणदोष के आधार पर विधिसम्मत निस्तारण सुनिश्चित करें। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

18/11/16

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 18/11/16 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

18/11/16

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।